



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹12000 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-379/2015 धारा-354क,504,506,376 भा0द0सं0 व 4 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धीरेन्द्र राजपूत पुत्र ईश्वरदास नि0 स्यावरी थाना राठ जनपद हमीरपुर को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹12000 के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री
अवधनरेश चन्देल



विवेचक-
उ0नि0 श्री भानूप्रताप
सिंह



पैरोकार- थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव